


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर गई
कार्रवाई टिप्पण
आदेश

अभिलेख उपस्थापित,

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं वर्तमान पंजी से पूर्व की जमाबंदी पंजी/ हल्का में उपलब्ध कन्टीन्यूअस खतियान/वादी के वंशज द्वारा उपलब्ध कराये गये बदोबस्ती पट्टा का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि मौजा विशियारु के पंजी II में के वॉल्युम सं० I के पृष्ठ सं० 141 में शुद्ध शुद्ध के नाम से कायम जमाबंदी सक्षम प्राधिकार के आदेश के आलोक में संधारित है। वादी शुद्ध शुद्ध के नाम से कायम जमाबंदी को अवैध नहीं माना जा सकता है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के आधार पर मौजा विशियारु के पंजी II के पृष्ठ सं० I/141 में शुद्ध शुद्ध के नाम से कायम जमाबंदी को अवैध नहीं स्वीकार करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।


अंचल अधिकारी
तोरपा

सेवा में,

अंचल. अधिकारी, गोरपा ।

विषय :- 4(H) वाद सं 384/16-17 के संबंध में प्रतिवेदन

सहाय्य,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित कराया है कि मौज-निचितपुर, थाना-रुनियाँ का खता सं 77 खेसरा सं 1249 खता 1.80 ए० भूमि रैक्टर-गुडरगुडा पिता कोका गुडा के नाम पंजी II के पेज नं 141 मौज I में दर्ज है। बिहार (भारतखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत कारवाई के विरुद्ध वादी गुडरगुडा के वारीजान द्वारा अपने पक्ष में कायम जमाबंदी के साक्ष के रूप में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया गया :-


- 1) - बंदोवस्ती वाद सं 9588/70-71 की दृष्टावृति ।
- 2) - ऑफकोर्डेन बगान रसीद नं 2004-05 की दृष्टावृति ।

अतः तत्कालीन अंचलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत बंदोवस्ती के आधार पर नियमितकरण किया जा सकता है

पुनश्च,

दस्ता में उपलब्ध पंजी II की दृष्टावृति संलग्न है।

विष्णु
P.S.



... 3528 ...
 ... 189 ...

वर्ष का जमा

क्र. सं.	वर्ष	विवरण	दर	अंश	शेरा	पैसे
1	2017
2	2018
3	2019
4	2020
5	2021
6	2022
7	2023
8	2024
9	2025
10	2026
11	2027
12	2028
13	2029
14	2030
15	2031
16	2032
17	2033
18	2034
19	2035
20	2036
21	2037
22	2038
23	2039
24	2040
25	2041
26	2042
27	2043
28	2044
29	2045
30	2046
31	2047
32	2048
33	2049
34	2050
35	2051
36	2052
37	2053
38	2054
39	2055
40	2056
41	2057
42	2058
43	2059
44	2060
45	2061
46	2062
47	2063
48	2064
49	2065
50	2066
51	2067
52	2068
53	2069
54	2070
55	2071
56	2072
57	2073
58	2074
59	2075
60	2076
61	2077
62	2078
63	2079
64	2080
65	2081
66	2082
67	2083
68	2084
69	2085
70	2086
71	2087
72	2088
73	2089
74	2090
75	2091
76	2092
77	2093
78	2094
79	2095
80	2096
81	2097
82	2098
83	2099
84	2100

(ग) प्रकृष्टा वगैरे (सूची-1 एवं 2) - 10
 (घ) वेतन सैनिक/अर्द्ध सैनिक बल के सदस्य जो कर्तव्य निर्वहन के दौरान बीरगति प्राप्त/शहीद हुए हों के उत्तराधिकारी